बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक..... / पटना, दिनांक.....

सं0 सं0–05 / उ0नि0ब0 (पुनर्विनियोग) 02 / 2016

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

द्वारा :– वित्त विभाग।

विषय :– संलग्न विवरणी के अनुदान संख्या 23 के मुख्य शीर्ष–2852 उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–80 सामान्य, लघुशीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0002 निदेशन, विपत्र कोड N2852800010002 विषय शीर्ष 2801 व्यवासियक एवं विशेष सेवाएँ में रू0 15,00,000 (पन्द्रह लाख) मात्र का पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश :– बिहार वित्तीय नियमावली खण्ड–I के नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृत।

2– राशि का विकलन मुख्यशीर्ष 2852 उद्योग उपमुख्य शीर्ष 80 सामान्य लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन मांग संख्या 23 उपशीर्ष 0002 निदेशन विपत्र कोड N2852800010002 विषय शीर्ष 1304 विद्युत प्रभार से रू0 20,000 / –(बीस हजार), 1305 विधि प्रभार से रू0 20,000 / – (बीस हजार), 1401 किराया महसूल एवं कर से रू0 15,000 / – (पन्द्रह हजार) 1601 प्रकाशन एवं मुद्रण से रू0 1,10,000 / – (एक लाख दस हजार) एवं 2003 प्रशिक्षण व्यय से रू0 13,35,000 / – (तेरह लाख पैतीस हजार) अर्थात कुल रू0 15,00,000 / – (पन्द्रह लाख) मात्र बचत की राशि से विकलित होगा।

3– इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना, सहायक निदेशक (तकनीकी) तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं वरीय लेखा पदाधिकारी, ह0रे0 निदेशालय, बिहार, पटना होगें।

4– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं संबंधित जिलों के कोषागार से की जाएगी।

5– प्रस्ताव मे सचिव (संसाधन) वित्त विभाग की सहमति रांचिका संख्या 05 / उ0नि0ब0 (पुनर्विनियोग) 02 / 2016 (छाया संचिका) के पृष्ठ 16 / टि0 पर दिनांक 20.01.17 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..... / पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 273 / पटना, दिनांक 3.2.17

प्रतिलिपि :–उप सचिव, बजट शाखा, वित्त विभाग / उद्योग निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम / निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग / उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / सहायक निदेशक (तकनीकी) तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं वरीय लेखा पदाधिकारी, ह0रे0 निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची – 33 प्रपत्र संख्या–212

अतिरिक्त पुर्नविनियोग के लिए आवेदन पत्र

ज्ञापांक 273

पटना, दिनांक 3 ·2·17

संलग्न विवरणी के अनुदान संख्या 23 के मुख्य शीर्ष–2852 उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–80 सामान्य, लघुशीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0002 निदेशन, विपत्र कोड N2852800010002 विषय शीर्ष 2801 व्यवासियक एवं विशेष सेवाएँ में रू0 15,00,000 (पन्द्रह लाख) मात्र का पुर्नविनियोग की स्वीकृति।

2– प्रस्तावित पुर्नविनियोग के संबंध में स्पष्टीकरण :–
वचनवद्ध दायित्वों के भुगतान हेतु मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग उपमुख्य शीर्ष 80 सामान्य लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन मांग संख्या 23 उपशीर्ष 0002 निदेशन विपत्र कोड N2852800010002 विषय शीर्ष 2801 व्यवासियक एवं विशेष सेवाएँ में रू0 15,00,000 (पन्द्रह लाख) मात्र की अतिरिक्त आवश्यकता है। राशि का उपबंध इसी मुख्यशीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80 सामान्य लघु शीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन मांग संख्या–23 उपशीर्ष 0002 निदेशन विपत्र कोड N2852800010002 विषय शीर्ष 1304 विद्युत प्रभार से रू0 20,000/–(बीस हजार), 1305 विधि प्रभार से रू0 20,000/– (बीस हजार), 1401 किराया महसूल एवं कर से रू0 15,000/– (पन्द्रह हजार) 1601 प्रकाशन एवं मुद्रण से रू0 1,10,000/– (एक लाख दस हजार) एवं 2003 प्रशिक्षण व्यय से रू0 13,35,000/– (तेरह लाख पैतीस हजार) अर्थात कुल रू0 15,00,000/– (पन्द्रह लाख) मात्र बचत राशि को प्रत्यर्पित कर पुर्नविनियोग द्वारा प्रस्तावित है।

3– इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना, सहायक निदेशक (तकनीकी), तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं वरीय लेखा पदाधिकारी, ह0रे0 निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

4– पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्यार्पित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण यदि कुछ हो :–
पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण उपर कंडिका 2 में अंकित है।

5– स्तम्भ 2 और 3 तथा स्तम्भ 8 और 9 में यदि कोई अंतर हो तो उसका स्पष्टीकरण :–
(क) 2 एवं 3 में शून्य।
(ख) 8 एवं 9 में शून्य।

शीर्षक जिसके अधीन अतिरिक्त उपबंध अपेक्षित है। मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग उपमुख्य शीर्ष 80 सामान्य लघु शीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन मांग संख्या 23 उपशीर्ष 0002 निदेशन विपत्र कोड N2852800010002						शीर्षक जिससे विनियोग प्रस्तावित है। मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग उपमुख्य शीर्ष 80 सामान्य लघु शीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन मांग संख्या 23 उपशीर्ष 0002 निदेशन विपत्र कोड N2852800010002					
विनियोग की प्राथमिक इकाईयाँ	मूल उपबंध (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान उपबंध	तत्कालिक प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित व्यय	अपेक्षित अतिरिक्त उपबंध	कुल उपबंध जो जोड़ने के बाद रहेगा	विनियोग की प्राथमिक इकाईयाँ	मूल उपबंध (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान उपबंध	तत्काल लिए गए प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च	प्रत्यार्पित राशि	कुल उपबंध जो घटाने के बाद रहेगा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	1200000	1200000	2700000	1500000	2700000	1304 विद्युत प्रभार	70000	70000	50000	20000	50000
						1305 विधि प्रभार	300000	300000	280000	20000	280000
						1401 किराया एवं महसूल कर	80000	80000	65000	15000	65000
						1601 प्रकाशन एवं मुद्रण	200000	200000	90000	110000	90000
						2003 प्रशिक्षण व्यय	1500000	1500000	165000	1335000	165000
				1500000						1500000	

टिप्पणी (क) स्तम्भ–1 और 7 में ऐसे लघु उद्योग, उप शीर्ष दिखाये जाय जिससे इकाई संबंधित हो।

(ख) स्तम्भ 3 या 9 में सम्पर्क पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुदान और पूरक या अतिरिक्त अनुदान की राशि सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार अन्य इकाईयों में पुनर्विनियोजित रकम को घटाकर दिखाई जाय। स्तम्भ 3 और 9 में ऑकड़े पीठ पर अंकित किया जाय।

(ग) स्तम्भ 6 में 3 और 5 का जोड़ दिखाया जाय।

(घ) स्तम्भ 12 में स्तम्भ 9 और 11 के ऑकड़ों का अन्तर दिखाया जाय।